



2026:AHC:2056

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 3759, वर्ष 2025

राम अशीष यादव
बनाम

.....याचिकाकर्ता(गण)

उत्तर प्रदेश राज्य और 7 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : अनिल कुमार यादव
प्रतिवादी (यों) के अधिवक्ता : अरुण कुमार यादव, सी.एस.सी., रामेश्वर
प्रसाद शुक्ला, संजू सोनी, योगेन्द्र यादव

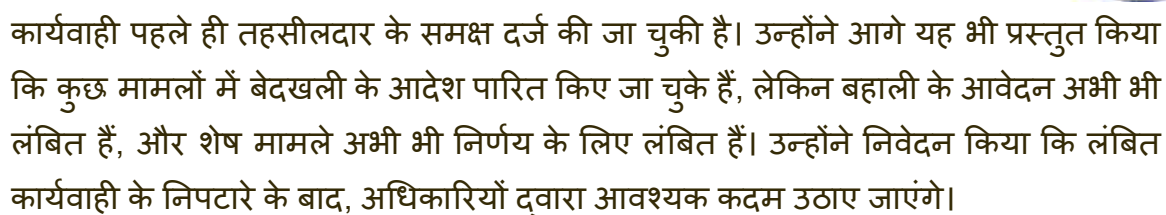
न्यायालय संख्या.- 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, गाँव सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री रामेश्वर प्रसाद शुक्ला, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता और निजी प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता की दलीलें सुनी गईं।
2. यह याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:
(a). एक उपयुक्त प्रकृति की रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी अधिकारियों—विशेष रूप से प्रतिवादी संख्या 2—को यह निर्देश दिया जाए कि वे निजी प्रतिवादी के साथ-साथ किसी भी अन्य व्यक्ति को, जिसने ग्राम तरौका (लाटघाट), तहसील सगड़ी, जिला-आजमगढ़ में स्थित गाटा संख्या 611 (क्षेत्रफल 0.0150), गाटा संख्या 612 (क्षेत्रफल 0.01500), गाटा संख्या 551 (क्षेत्रफल 0.0400 हेक्टेयर), बंजर गाटा संख्या 609 (क्षेत्रफल 0.1840) और गाटा संख्या 608 (क्षेत्रफल 0.0130) में स्थित खलिहान और चक मार्ग पर अतिक्रमण किया है, तत्काल प्रभाव से बेदखल करें।
3. इस न्यायालय ने राज्य के विद्वान अधिवक्ता को इस मामले में निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया।
4. दिनांक 28.11.2025 के आदेश के अनुपालन में, तहसीलदार, सागरी, आजमगढ़ द्वारा भेजे गये दिनांक 05.01.2026 के निर्देश को अभिलेख पर लिया गया।
5. राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि राजस्व टीम द्वारा किए गए सीमांकन के आधार पर, यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

8. दिनांक 5.1.2025 के निर्देश के पैराग्राफ संख्या 4, 5 और 6 का अवलोकन प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार है:-

"4- यह कि साधारण खलिहान की गाटा सं० 611/0.015 हे० व 551/0.040 हे० में से 0.008 हे० पर भृगुनाथ व गजाधर पुत्रगण हिसावी द्वारा पक्का मकान बनाकर अवैध कब्जा किये जाने के कारण न्यायालय तहसीलदार सगडी में बेदखली वाद संख्या टी 202315060704965 रिपोर्ट बनाम भृगुनाथ व गजाधर प्रचलित हुआ जिसमें दिनांक 02.03.2024 को पारित बेदखली आदेश के विरुद्ध पुर्नस्थापना वाद संख्या टी 202515060718197 भृगुनाथ व गजाधर बनाम गांव सभा तरीका विचाराधीन है जिसमें सुनवाई हेतु अग्रिम तिथि 16.01.2026 नियत है।

(सलग्नक-4)

5- यह कि साधारण खलिहान की गाटा सं० 612/0.150हे० में से 0.008 हे० पर गन्ना पुत्र हिसाबी, 0.0060हे० पर रंगी पुत्र सूर्यबरन 0.010हे० सूर्यनाथ पुत्र हिसाबी द्वारा पक्के मकान बनाकर व 0.008 हे० स्वामीनाथ पुत्र मदधू द्वारा पक्की दीवाल बनाकर अवैध कब्जा किये जाने के कारण कमरा: बेदखली वाद सं० टी० 202315060704963 रिपोर्ट बनाम मन्ना, टी० 202315060704964 रिपोर्ट बनाम रंगी, टी 202315060704966 रिपोर्ट बनाम सूर्यनाथ में दिनांक 02.03.2024 को एवं वाद सं० टी 202315060704967 रिपोर्ट बनाम स्वामीनाथ में दिनांक 03.07.2024 को न्यायालय तहसीलदार सगड़ी द्वारा बेदखली आदेश पारित विन्या गया जिसमें से पुर्नस्थापना वाद संख्या टी 202515060718195 रंगी बनाम गांव सभा विचाराधीन है जिसमें सनवाई हेतु अग्रिम तिथि 16.01.2026 नियत है। (संलग्नक-5)

6- यह कि राजस्व टीम के सीमांकन के पश्चात चकमार्ग गाटा सं० 608/0.013 हे० गौंके पर खाली पाया गया किन्तु बंजर की गाटा सं० 609/0.184 हे० में से 0.030 हे० में जवाहर लाल आदि पत्रगण भिक्खु, 0.012 हे० पर रामायन पत्र मदधु 0.018 हे० पर भीम पत्र छविनाथ, ०

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



007 हे0 पर भृगुनाथ व गजाधर पुत्रगण हिसाबी, 0.005 हे० स्वाभीनाथ पुत्र गहू एवं 0.01280 पर रंगी पुत्र सूर्यबरन द्वारा पक्का मकान बनाकर अवैध निर्माण किये जाने के कारण न्यायालय तहसीलदार (न्यायिक) सगड़ी आजमगढ़ में कमशः बेदखली वाद टी० 202515060719938 रिपोर्ट बनाग जवाहर लाल आदि, टी० 202515060719939 रिपोर्ट बनाग रगायन आदि, टी० 202515060719940 रिपोर्ट बनाम भीम आदि, टी० 202515050719941 रिपोर्ट बनाम भृगुनाथ व गजाधर, टी० 202515060719942 रिपोर्ट बनाम स्वामीनाथ टी० 202515060719943 रिपोर्ट बनाम रंगी विचाराधीन है जिसमें सुनवाई हेतु आगम तिथि 08.01.2026 नियत है। (संलग्नक-6)

अतः उपरोक्त वस्तुस्थिति से मा० उच्च न्यायालय को अवगत कराने का कष्ट करे।
तहसीलदार सगड़ी,
आजमगढ़।"

9. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ निर्देशों में उल्लिखित तथ्यों पर विचार करते हुए, इस जनहित याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाता है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 4/तहसीलदार, सगड़ी, जिला-आजमगढ़ को निर्देश दिया जाता है कि वे पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत लंबित कार्यवाही का शीघ्रता से निर्णय करें।

6 जनवरी 2026

पीएस

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"